जनसत्ता

20 दिसंबर, 2019

आशंका के सामने

हाल ही में नागरिकता संशोधन विधेयक के संसद में पारित हो जाने के बाद उठा विवाद अब जिस तरह देश भर में फैल गया लगता है, उससे साफ है कि इस मसले से निपटने में सरकार के स्तर पर शायद जल्दबाजी की गई। यों भी, आजादी के बाद से भारत जिस परंपरा का वाहक रहा है, उसमें सरकार के किसी फैसले से असहमति और उस पर होने वाले विरोध प्रदर्शन लोकतंत्र की खूबसूरती रहे हैं। मगर नागरिकता संबंधी बने नए कानून को लेकर लोगों के बीच जो आशंकाएं उभरीं, उसका समाधान निकालने के बजाय उसकी अनदेखी की गई। खासतौर पर दिल्ली में जामिया मिल्लिया के विद्यार्थियों के प्रदर्शन के बाद परिसर में घुस कर पुलिस ने जैसा बर्बर रवैया अख्तियार किया था, उस पर गंभीर सवाल उठे। सही है कि उस प्रदर्शन के दौरान हिंसा करने वाले तत्त्वों से निपटना पुलिस की जिम्मेदारी थी, लेकिन विश्वविद्यालय के पुस्तकालय और हॉस्टल तक में जाकर विद्यार्थियों के साथ जिस तरह मारपीट की गई, उसका औचित्य साबित करना संभव नहीं है। इसका नतीजा यह हुआ कि विवाद के जो केंद्र पहले कुछ विश्वविद्यालयों के परिसर तक सीमित थे, वे देश के बड़े हिस्से में फैल गए। हालत यह हुई कि गुरुवार को इस मुद्दे पर कई नागरिक समूहों की ओर से देश भर में व्यापक विरोध प्रदर्शन सामने आए।

असम और पूर्वोत्तर के राज्यों में इस मुद्दे पर उठा तूफान पहले ही सरकार के लिए एक बड़ी समस्या बनी हुई है। सरकार की ओर से तमाम आश्वासनों के बावजूद वहां के लोगों का विरोध नहीं थम रहा है। बल्कि देश के दूसरे राज्यों में भी लोग सड़कों पर उतर आए। अब जब हालात गंभीर होने लगे तब गृहमंत्री ने ताजा हालात पर विचार के लिए बैठक बुलाई, लेकिन क्या यह जरूरी नहीं था कि पिछले कुछ दिनों से देश में जैसी स्थिति बन रही थी, उसके मद्देनजर समय पर कदम उठाए जाते! कायदे से यह विषय जितने महत्त्व का है, उसमें इसके व्यापक असर के मद्देनजर हर पहलू पर गौर करके इस पर आने वाली आपत्तियां और संशोधनों पर विचार किया जाना चाहिए था। इसका फायदा यह होता कि आज अलग-अलग नागरिक समूह और राजनीतिक दल धर्म आधारित नागरिकता की व्यवस्था पर जैसे सवाल उठा रहे हैं और लोगों के बीच जैसी आशंकाएं खड़ी हो गई हैं, उसे दूर करने में मदद मिलती।

विडंबना यह है कि इस पर किसी भी तरह के विरोध या सवाल को स्वीकार करना जरूरी नहीं समझा गया। बल्कि सरकार की जिद का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि न केवल संशोधनों और आशंकाओं को कोई तरजीह नहीं दिया गया, बल्कि इस बात की भी घोषणा होती रही कि नागरिता संशोधन कानून को लागू करने के लिए देश भर में राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर यानी एनआरसी की व्यवस्था लागू होगी। इस मामले में असम का उदाहरण सामने है, जहां अनिवार्य घोषित किए गए दस्तावेजों के अभाव में करीब उन्नीस लाख लोग एनआरसी से बाहर रह गए। यानी उनकी नागरिकता कठघरे में है। इसके अलावा, काम के पूरा होने की प्रक्रिया में एक लंबा वक्त और भारी राशि खर्च हुई। सवाल है कि अगर देश भर में एनआरसी की प्रक्रिया शुरू की गई तो उसका प्रारूप क्या होगा? चिंता या आशंका की मुख्य वजह यही है कि नागरिकता संशोधन कानून लागू होने के बाद अगर एनआरसी तैयार करने की प्रक्रिया शुरू होती है तो एक बड़ी जटिलता खड़ी हो सकती है। जरूरत इस बात की है कि इस मसले पर सरकार लोगों की बात सुने और उनकी आशंकाओं का निराकरण करे।

लॉटरी की दर

वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी को लागू हुए करीब ढाई साल हो गए। इस बीच कई बार व्यापारियों और उपभोक्ताओं की समस्याओं के मद्देनजर करों में बदलाव के लिए जीएसटी परिषद की बैठकें हो चुकी हैं। हर बार सर्वसम्मति से फैसले किए गए। पर यह पहली बार है, जब किसी कर के निर्धारण को लेकर परिषद के सदस्यों के बीच मतदान का सहारा लेना पड़ा। यह मौका था लॉटरी पर एक समान कर निर्धारण का। लॉटरी की बिक्री पर संबंधित राज्य में बारह प्रतिशत जीएसटी का प्रावधान था, जबकि दूसरे राज्यों में उन्हें बेचने पर जीएसटी अठाईस फीसद रखा गया था। कुछ लोगों की मांग थी कि इस पर दो तरह के कर न रखे जाएं। मगर जीएसटी परिषद के कुछ सदस्य इसके पक्ष में नहीं थे। आखिर मतविभाजन का सहारा लेना पड़ा। इसमें इक्कीस राज्यों ने लॉटरी पर जीएसटी की दर अठाईस फीसद करने के पक्ष में मतदान किया। इस तरह अब सभी जगह लॉटरी की बिक्री पर एक समान दर अठाईस फीसद कर दी गई है।

वस्तुओं पर कर का निर्धारण करते समय ध्यान रखा जाता है कि उसके उपभोक्ता किस आय वर्ग के हैं, उस वस्तु की खपत और समाज में उसकी उपादेयता कितनी है। अगर उस वस्तु से समाज के कमजोर आर्थिक तबके पर बोझ बढ़ता है, तो उसे अच्छा नहीं माना जाता। इसीलिए शुरू में जब जीएसटी दरों का निर्धारण किया गया, तो बहुत सारी वस्तुओं पर कराधान अधिक होने से आम उपभोक्ता पर आर्थिक बोझ पड़ने वाला था। उसका विरोध हुआ तो सरकार ने उनके करों में बदलाव किया। लॉटरी एक तरह का जुआ है। इससे नागरिकों के जीवन पर कोई प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ता। बल्कि बहुत सारे लोगों में लॉटरी खेलने का नशा इस कदर हावी देखा जाता है कि वे परिवार के भरण-पोषण की परवाह किए बगैर अपनी कमाई लॉटरी पर लुटा बैठते हैं। कई लोग लॉटरी के चक्कर में भारी कर्ज में फंस जाते हैं। उन्हें सिर्फ यह उम्मीद होती है कि कभी न कभी किस्मत खुलेगी और वे भारी रकम जीत लेंगे, जिससे उनका जीवन खुशहाल हो जाएगा। यह उम्मीद जब नशे का रूप ले लेती है, तो कई लोगों के घर-परिवार भी बर्बाद करती देखी गई है। फिर लोगों में लॉटरी के नशे को देखते हुए बहुत सारे फर्जी लॉटरी बनाने वाले इस खेल में शामिल हो जाते हैं। इस तरह लॉटरी का बहुत सारा पैसा न तो लॉटरी कंपनियों को जा पाता है और न सरकार को उस पर राजस्व मिल पाता है। लॉटरी के इन्हीं दुष्प्रभावों को देखते हुए अधिकतर राज्यों में लॉटरी का कारोबार बंद कर दिया गया। मगर कुछ राज्यों में अब भी यह चलता है। वहां की लॉटरी दूसरे राज्यों में भी बेची जाती है।

जिन राज्यों में लॉटरी के कारोबार की अनुमति है, उन्हें इससे राजस्व की खासी कमाई होती है। कुछ राज्य सरकारें खुद लॉटरी चलाती हैं। सो, समझना मुश्किल नहीं कि उन्हें अंदेशा रहा होगा कि इस पर कर की दर ऊंची रखने से बहुत सारे खरीदारों पर प्रतिकूल असर पड़ेगा, इसलिए स्वाभाविक ही वे इसका विरोध कर रही थीं। मगर लॉटरी न तो आवश्यक वस्तुओं की सूची में आती है और न सेवा क्षेत्र में, इसलिए इस पर बारह प्रतिशत कर की दर रखने का कोई औचित्य नहीं था। अगर कर की दर ऊंची होने से कुछ गरीब लोग इसकी लत से मुक्त हो सकें, तो अच्छा ही है।

कल्पमेधा

जो मनुष्य अपने क्रोध को झेल लेता है, वह दूसरों के क्रोध से बच सकता है और जीवन को सुखी बना सकता है।

– सुकरात

आसमान में बढ़ती ताकत

अभिषेक कुमार सिंह

भारत अपने इन निगरानी उपग्रहों के जरिए पाकिस्तान के सत्तासी फीसद क्षेत्र यानी कुल 8.8 लाख वर्ग किलोमीटर में से 7.7 लाख वर्ग किलोमीटर इलाके पर पैनी नजर रखने में सक्षम हो गया है। इससे भारत जब चाहे, पाकिस्तान के महत्त्वपूर्ण सामरिक इलाकों की गतिविधियों को देख सकता है और महत्त्वपूर्ण नक्शे और तस्वीरें हासिल कर सकता है।

आज दुनिया के तमाम देशों में जिस तरह के तनाव बढ़ रहे हैं, उनसे युद्ध की एक आशंका हमेशा बनी रहती है। ऐसे में अब कोई भी देश अपनी सुरक्षा को हल्के में नहीं ले सकता और इस काम में आसमान से निगरानी के इंतजाम किए बगैर खुद को सुरक्षित नहीं मान सकता। इस नजरिये से देखें तो हाल में श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित ताकतवर राडार इमेजिंग उपग्रह रीसैट-2बीआर-1 को भारत के लिए एक उपलब्धि कहा जाएगा। रीसैट के समान एक अन्य उपग्रह श्रृंखला कार्टोसैट की अंतरिक्ष में तैनाती के बल पर हमारा देश बादलों के पार से भी सरहदों पर हो रही हलचलों पर नजर रख पा रहा है और आतंकी व देश-विरोधी गतिविधियों पर निगाह रख उनसे निपटने के प्रबंध कर रहा है।

कार्टोसैट और रीसैट जैसे उपग्रहों की तैनाती की जरूरत 26 नवंबर, 2008 को मुंबई में हुए आतंकी हमलों के बाद ज्यादा महसूस की गई थी, ताकि दुश्मन इलाकों से होने वाली आतंकी घुसपैठ और संदिग्ध हलचलों की जानकारी हमारे सुरक्षा तंत्र को पहले से मिल सके। यही नहीं, इसके लिए शुरुआती रीसैट उपग्रह की तकनीक में बदलाव भी किया गया था। उल्लेखनीय है कि इससे पहले भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) द्वारा अंतरिक्ष में स्थापित किए जाने वाले ज्यादातर उपग्रहों की भूमिका मौसम की जानकारी देना और कृषि, जंगल और आपदा प्रबंधन विभागों को संबंधित सूचनाएं प्रदान करने तक सीमित हुआ करती थी। लेकिन मुंबई हमले और उसके बाद उरी सेक्टर और पुलवामा में हुए आतंकी हमलों के मद्देनजर घुसपैठ पर नजर रखने और आतंक विरोधी उपायों पर अमल करने के लिए इस श्रृंखला के उपग्रहों में सीमाओं की निगरानी के प्रबंध भी किए जाने लगे। इन उपग्रहों से सीमाओं की निगरानी इसलिए ज्यादा पुख्ता ढंग से हो पा रही है, क्योंकि माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी पर काम करने वाले रीसैट श्रेणी के उफग्रह रात के अंधेरे और खराब मौसम में भी काम कर सकते हैं। धरती पर कितना भी मौसम खराब हो, कितने भी बादल छाए हों, इसके कैमरे घने बादलों को चीर कर सीमाओं की साफ तस्वीरें ले सकते हैं। इस मामले में सिर्फ रीसैट ही नहीं, बल्कि कार्टोसैट श्रृंखला के उपग्रह भी बड़े काम के हैं। इसरो कार्टोसैट श्रृंखला में भी कई उपग्रह छोड़ चुका है और हाल में इस कड़ी में सबसे नया उपग्रह 27 नवंबर, 2019 को कार्टोसैट-3 उपग्रह प्रक्षेपित किया गया था, जो कार्टोसैट श्रृंखला का नौवा उपग्रह है। कार्टोसैट श्रृंखला की शुरुआत वर्ष 2005 में हो ही गई थी, लेकिन सैन्य महत्व के उपग्रहों के सिलसिले की बात करें तो इसका आरंभ मुंबई हमले से साल भर पहले 2007 में कार्टोसैट-2ए के प्रक्षेपण से हुआ था। यह दोहरे उपयोग वाला उपग्रह था जो मौसम की जानकारियां बटोरने के साथ भारत के अड़ोस-पड़ोस में मिसाइल कार्यक्रम पर नजर रख सकता था। इसके बाद जून 2012 में छोड़े गए कार्टोसैट-2सी से पड़ोसी देशों के संवेदनशील ठिकानों के वीडियो रिकॉर्ड करने और उसका विश्लेषण कर उन्हें वापस धरती पर भेजने की सुविधा देश को मिल गई। इसी श्रृंखला में अगला उपग्रह कार्टोसैट-2 ई था, जो जून 2017 में छोड़ा गया।

आसमान से सरहदों की निगरानी का मामला असल में इलेक्ट्रॉनिक खुफियागीरी की वह व्यवस्था बनाने का है जिसमें जमीनी हलचलों पर सुदूर अंतरिक्ष से नजर रखी जा सकती है। इस बारे में दावा किया जाता है कि जब देश रीसैट और कार्टोसैट जैसे निगरानी उपग्रहों की श्रृंखला अंतरिक्ष में तैनात कर देगा, तब पड़ोसी दुश्मन मुल्कों से कोई परिंदा भी नहीं आ सकेगा। छद्म युद्ध की नीति के तहत आतंक फैलाने वाले पड़ोसी मुल्कों की हरकतों पर लगाम लगाने में रीसैट और कार्टोसैट जैसे उपग्रहों की एक बड़ी भूमिका हो सकती है। तकनीकी पहलुओं को देखें, तो रीसैट और कार्टोसैट उपग्रह इलेक्ट्रॉनिक खुफिया तकनीक से युक्त होते हैं, जिससे धरती के किसी भी इलाके का इलैक्ट्रो-मैग्नेटिक स्पेक्ट्रम नापा जा सकता है। इस तकनीकी खूबी के आधार पर ये उपग्रह सैकड़ों किलोमीटर की ऊंचाई पर रहते हुए जमीन पर संचार प्रणाली, राडार और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के सिग्नल पकड़ सकते हैं। इससे दुश्मन देश के राडार ढूंढ़ने में मदद मिलती है, साथ में ये उपग्रह भारत के जंगी विमानों को दुश्मन की वायु रक्षा प्रणाली की निगाह में आने से बचा सकते हैं। इन्हीं खूबियों के चलते रीसैट-2बीआर1 और कार्टोसैट-3 को भारत की आंख भी कहा जा रहा है।

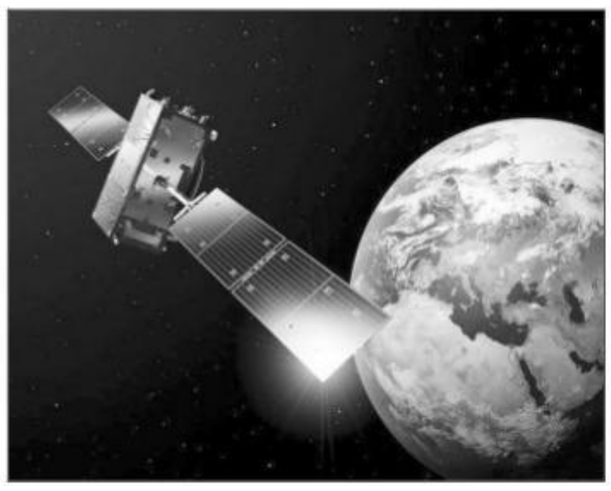

सवाल है कि आसमान में तैनात ये तकनीकी आंखें हमारे देश की सुरक्षा में कैसे मददगार साबित हो रही हैं। इसकी एक मिसाल उरी हमले के प्रतिकार में सितंबर, 2016 में भारत की ओर से पाकिस्तान के खिलाफ की गई सर्जिकल स्ट्राइक में मिलती है। इस कार्रवाई में एक अहम भूमिका कार्टोसैट श्रृंखला के उपग्रहों ने निभाई थी। इन उपग्रहों से हैदराबाद स्थित नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर को स्टैंडर्ड और बेहद सूक्ष्म ब्योरे के साथ उपग्रहों से जमीन के लिए गए फोटो उपलब्ध कराए गए थे। इनके विश्लेषण के बाद सेना को जमीनी हालात का आकलन करने, हमले की सर्वाधिक उपयुक्त जगह और समय का चुनाव करने में मदद मिली थी। निगरानी उपग्रह कहलाने वाले इन उपग्रहों में एक विशेष किस्म का राडार लगा होता है। यह राडार असल में इजरायली सिस्टम टेकसार-1 का संशोधित और देसी विकल्प है, जिससे एक बार में धरती के पांच से दस किलोमीटर के इलाके में करीब आधे मीटर से भी कम दायरे में मौजूद दो वस्तुओं में अंतर पकड़ा जा सकता है और उनकी पहचान की जा सकती है। इतनी सूक्ष्मता से मिलने वाली जानकारी का अर्थ यह है कि दुश्मन देश की सैन्य हलचलों से लेकर आतंकियों की हर गतिविधि का समय रहते पता लग सकता है।

एक तथ्य यह है कि भारत अपने इन निगरानी उपग्रहों के जरिए पाकिस्तान के सत्तासी फीसद क्षेत्र यानी कुल 8.8 लाख वर्ग किलोमीटर में से 7.7 लाख वर्ग किलोमीटर इलाके पर पैनी नजर रखने में सक्षम हो गया है। इससे भारत जब चाहे, पाकिस्तान के महत्त्वपूर्ण सामरिक इलाकों की गतिविधियों को देख सकता है और महत्वपूर्ण नक्शे और तस्वीरें हासिल कर सकता है। सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, बल्कि पिछले पांच-छह वर्षों में इसरो ने कई ऐसे उपग्रह अंतरिक्ष में स्थापित किए हैं, जिनकी मदद से भारत की क्षमता आस-पड़ोस के चौदह देशों के करीब साढ़े पांच करोड़ वर्ग किलोमीटर दायरे वाले भूभाग पर सूक्ष्म नजर रखने की बन चुकी है। सेना यह स्वीकार करती है कि देश की सरहदों से लेकर पड़ोसी मुल्कों की जमीन पर हो रही गतिविधियों पर करीबी नजर रखने संबंधी जरूरतों का सत्तर फीसद हिस्सा इसरो के उपग्रह पूरा कर देते हैं। इस वक्त इसरो के कम से कम दस उपग्रह ऐसे हैं जो देश की सैन्य और खुफिया जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग उपग्रह यानी हाइसिस को 28 नवंबर 2018 को छोड़ा गया था और इससे रात के अंधेरे में भी तस्वीरें खींचकर जमीन के कुछ सेंटीमीटर जितने हिस्से की सूक्ष्म निगरानी की जाती है। यहां तक कि जमीन में बारूदी सुरंगों और आइईडी का भी इससे पता चल जाता है। इसी साल 23 जनवरी को प्रक्षेपित उपग्रह माइक्रोसैट-आर को इस मायने में खास कहा जा सकता है कि इसका निर्माण विशुद्ध रूप से सैन्य उद्देश्यों के लिए डीआरडीओ ने किया है।

यह सही है कि अक्सर दो देशों के बीच सैन्य संतुलन का आकलन करते समय सैनिकों की तादाद, जंगी जहाजों, विमानों, मिसाइलों और टैंकों आदि की गणना ही होती है, उनमें अंतरिक्ष में तैनात निगरानी उपग्रहों की गिनती नहीं होती। लेकिन भारत के अगल-बगल शत्रु इरादों वाले पड़ोसियों की मौजूदगी के मद्देनजर ऐसे निगरानी उपग्रहों की कीमत किसी भी सैन्य साजोसामान से ज्यादा ही ठहरेगी।

पर्यटन की सीमा

संतोष उत्सुक

दुनिया मेरे आगे

हमारे देश की आर्थिकी में पर्यटकों का अहम योगदान है। भारतीय पर्यटक धरती पर चल रही पर्यटकीय दौड़ का हिस्सा हो चुके हैं। घुमक्कड़ी, आजकल आनंद के लिए कम, देखा-देखी और दिखाने के लिए ज्यादा होने लगी है। माउंट एवरेस्ट को पर्यटक स्थल बना दिया गया है। इधर वहां मरने वालों की खबर आती रहती है, उधर पहाड़ पर चढ़ने वालों की लाइन लंबी होती रहती है। पर्यावरण प्रेम के नारों के शोर में पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ता जाता है। डिजिटल युग में बाजार के शातिर प्रतिनिधियों ने हाथ मिला रखे हैं, लेकिन जगहों का विज्ञापन वस्तुस्थिति से परिचित नहीं करवाता। कुछ महीने पहले प्रशासन के पंजीकरण के बिना मणिमहेश जैसी रोमांचक, लेकिन खतरनाक यात्रा पर निकले पर्यटक बर्फीले मौसम में बुरी तरह से फंस गए थे। प्रशासन के सघन प्रयासों के कारण कुछ को ही बचाया जा सका था। यह ठीक है कि प्रशासन को काफी पहले से ज्यादा चौकन्ना रहना चाहि, लेकिन पर्यटकों ने भी जिम्मेदारी नहीं समझी।

बहुत लोकप्रिय हो चुके हिमाचली स्थल चूड़धार आने वाले पर्यटकों को उनके अतिउत्साह ने परेशान कर रखा है। प्रशासन और स्थल प्रबंधन ने कब से मना किया है कि अभी चूड़धार यात्रा न करें, लेकिन नासमझ पर्यटक मानते नहीं, वहां जाते हैं और परेशान होते हैं। इस स्थल पर बहुत हिमपात होता है। पिछले दिनों बहुत मुश्किल के बावजूद मंदिर प्रबंधकों और समाज सेवियों ने परेशानी उठा कर अपनी मर्जी से वहां पहुंचे, गंभीर रूप से अस्वस्थ हो जाने के कारण उन्नीस वर्षीय पर्यटक को पीठ पर उठा कर दूसरी जगह पहुंचाया। इस युवा पर्यटक ने जानबूझ कर अपनी जान को जोखिम में डाला। इसके अलावा भी ऐसी की घटनाएं हो चुकी हैं।

कुछ महीने पहले एक नवविवाहित जोड़ा रास्ता भटका, चिप्स खाकर और पानी पीकर रात गुजारी। प्रशासन ने हेलिकॉप्टर से उन्हें ढूंढ़ा। हाल ही में दो युवा चिकित्सक इस जगह के लिए निकले। रास्ते में युवक की तबीयत खराब हुई और ढाबे में रुकना पड़ा। हैरानी की बात यह है कि साथ गई डॉक्टर युवती बीमार साथी के साथ लौटने की बजाय अकेली चूड़धार चली गई। इधर युवक की हालत ज्यादा बिगड़ गई और अंतत उसकी मृत्यु हो गई। यह पर्यटकों की घोर लापरवाही है कि बिना सोचे-समझे, अल्पज्ञान होते हुए भी चल पड़ते हैं। इन नासमझ और बेकरार पर्यटकों को रोकने का प्रयास किया जाता है, लेकिन मानते नहीं। अपनी उच्छृंखल प्रवृति के कारण अनेक पर्यटक जीवन से हाथ धो बैठते हैं।

भेड़चाल का शिकार हो रहे पर्यटकों को समझना चाहिए कि जिन पर्यटक स्थलों पर पूरी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाई हैं, सरकारी प्रशासन या स्थानीय प्रबंधन, बर्फबारी या अन्य कारणों से मना कर रहा है तो सुरक्षा अपना कर लौटना ही बेहतर है। कुछ जगहों पर अब पर्यटकों को वाकई कम संख्या में आना चाहिए। विदेशों से सीखने की आदतें समृद्ध करनी चाहिए। पर्यटन आधारित आर्थिकी से जीवित कई छोटे देशों ने अपना प्रबंधन सुधारा है। उदाहरण के तौर पर वेनिस ने क्रूज जहाज सीमित करने शुरू किए हैं। आइसलैंड नई जगहों को बढ़ावा दे रहा है। कोपेनहेगन पर्यटकों को अलग-अलग जगह भेज रहा है। क्रोएशिया पर्यटकों की सीमा निश्चित कर रहा है।

एक घटना उल्लेखनीय है। पेरिस में एक संग्रहालय में पर्यटकों की भीड़ ज्यादा हो जाने कारण वहां के कर्मचारी बाहर निकल गए। हमारे देश में अनेक जगहों पर भीड़ बहुत परेशान होती है और करती भी है। यों भी विदेशी और स्थानीय पर्यटकों के तौर-तरीकों में गरम और ठंडे का फर्क है। हम विदेश यात्राओं के दौरान सुधरे रहते हैं, लेकिन देश में वापस आते ही पुराने बिगड़े हुए माहौल में घुस जाते हैं। हमें अतिउत्साही, अनुशासनहीन चालक, अपने स्वास्थ्य और सुरक्षा से बेपरवाह मेहमानों की जरूरत नहीं होनी चाहिए। इनकी यात्रा को निरुत्साहित नहीं, स्थानीय प्रशासन द्वारा सीधे निरस्त कर देना चाहिए। किसी भी व्यक्ति, चाहे वह कितनी ही पहुंच वाला क्यों न हो, स्थानीय यात्रा, अनुशासन तोड़ने, हुड़दंग मचाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। पर्यटक अगर पैरा-ग्लाइडिंग, ट्रैकिंग, जलक्रीड़ा, साहसिक खेल किसी भी गतिविधि में हिस्सा लेना चाहते हों, तो हर क्षेत्र में एक प्रवेश बिंदु होना चाहिए, जहां से प्रशासन की अनुमति के बिना कोई आगे नहीं जा सके। प्रशासन द्वारा समय रहते स्वास्थ्य और सुरक्षा संबंधी पुख्ता इंतजाम करना भी लाजिमी है।

हादसा होने के बाद कुछ समय के लिए जागरूक रहने की आदत बदलना जरूरी है। दुर्घटना के बाद भी आखिर प्रशासन को अपने बहुमूल्य संसाधन प्रयोग करने ही पड़ते हैं। तो उनका खर्च बचाया जा सकता है। पुरातत्त्व या अन्य कोण से महत्त्वपूर्ण जगहों पर कम लोग आएं तो जगह की महत्ता कम नहीं हो जाएगी। इस संदर्भ में हम अमेरिका के लाजवाब एरिजोना से सीख सकते हैं, जहां, 'द वेव' को देखने के लिए एक दिन में सिर्फ बीस लोग लॉटरी के माध्यम से अधिकृत होते हैं। हमारी अनेक दिलकश जगहों को भी बेहतर पर्यटक चुनने का हक है।

चौपाल

लोकतंत्र बनाम भरोसा

'दमन और रास्ता' (संपादकीय, 17 दिसंबर) पढ़ा। पिछले दिनों पारित नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ देश भर में आंदोलन हो रहे हैं। सरकारी संपत्ति की बर्बादी हो रही है। इसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए, कम है। लेकिन इसी के साथ इस देश में कई और भी अनुत्तरित प्रश्न हैं, जैसे वर्तमान सरकार की कानों पर अहिंसक और शांतिपूर्ण आदोलनों से जूं भी नहीं रेंगती। उदाहरण के लिए पिछले दिनों रेलवे के निजीकरण करने के फैसले के विरोध में रेलवे के लाखों कर्मचारियों और आत्महत्या करते भारत के लाखों किसानों द्वारा अपनी फसलों के उचित मूल्य निर्धारण के लिए बार-बार किए गए शांतिपूर्ण और अहिंसक हड़तालों, प्रदर्शनों और आंदोलनों के बाद भी इस कथित लोकतांत्रिक सरकार के कर्णधारों को कोई फर्क नहीं पड़ा। ज्यादातर टीवी चैनल दिन-रात सत्तारूढ़ पार्टी के किए हर गलत-सही कृत्य का एकतरफा प्रचार करने के सिवा कुछ महत्त्वपूर्ण विषयों को लेकर किए गए अहिंसक प्रदर्शनों को दिखाना तक भी जरूरी नहीं समझा।

समाचार पत्रों के अनुसार इस लोकतांत्रिक शासन के कर्ताधर्ताओं द्वारा दिल्ली पुलिस के अपने प्यादों के माध्यम से दिल्ली के जामिया मिल्लिया इस्लामिया के गेट के सुरक्षा गार्डों को धकियाते हुए, बगैर उसके प्रॉक्टर या कुलपति की इजाजत के विश्वविद्यालय में घुसकर जो तांडव मचाया, उसे देख कर तानाशाही शासन का खौफ उभरता है। खबरों के अनुसार दिल्ली पुलिस ने विश्वविद्यालय परिसर में लाइब्रेरी में पढ़ रहे छात्र-छात्राओं को शौचालय तक से खींच-खींच कर उन्हें किसी संगीन अपराधी की तरह मारा-पीटा। यही नहीं, वहां के कृत्य को कवरेज करती एक महिला पत्रकार से अमर्यादित और अभद्रतापूर्ण व्यवहार किया।

सवाल है कि सरकार के कर्णधारों से इस देश के आमजन का भरोसा क्यों टूट रहा है! ये इसके लिए खुद जिम्मेदार हैं। पिछले छह सालों से जनता बहुत ध्यान और सूक्ष्मता से यह आकलन कर रही है कि ये कहते कुछ और हैं और इनका एजेंडा कुछ और ही होता है। इनकी नीयत में खोट है। आखिर दिल्ली पुलिस द्वारा अमार्यादित, हिंसक व्यवहार करने का आदेश किसने दिया? इनकी बातों और इनके कामों में इतना फासला क्यों है? प्रजातंत्र में प्रजा का विश्वास खोना किसी भी शासक के लिए गंभीर संदेश है।

● *निर्मल कुमार शर्मा, गाजियाबाद*

सुरक्षा नियंत्रण व्यवस्था के नाम पर राज्य सरकारें फूली नहीं समाती है। हर साल राज्य सरकारें बजट में करोड़ों रुपए सुरक्षा व्यवस्था के नाम पर आबंटित करती हैं। फिर वह पैसा जाता कहां हैं? क्या बजट में मेटल डिटेक्टर लगाने की व्यवस्था नहीं की जा सकती? हर आगंतुक की तलाशी नहीं ली जा सकती? निगरानी के लिए कैमरे नहीं लगाया जा सकता? लेकिन ऐसा होता नहीं है। शायद इसीलिए अपराधियों के हौसले बुलंद रहते हैं और भरी अदालतों में वारदात करने से भी वे झिझकते नहीं! बिजनौर की घटना से राज्य सरकारों को सबक लेना चाहिए और आईंदा इस तरह की घटना न हो, इसे सुनिश्चित करने के लिए पुख्ता इंतजाम भी करना चाहिए।

● *गौतम एसआर, एमसीयू, खंड़वा परिसर*

चिंता और बढ़ा दी है। इससे साबित होता है कि महिलाओं के कल्याण के लिए सरकारी नीतियां नाकाफी हैं और नीतियों का क्रियान्वयन सही नहीं हो रहा है।

सरकारें नीतियों को बदलें और नीतियों को लागू करते समय निगरानी रखें, ताकि महिलाओं की स्थिति सुधारी जा सके। देश के प्रत्येक नागरिक का दायित्व है कि जागरूकता के द्वारा महिलाओं के स्तर को सुधारने के प्रयास करें और देश में बढ़ रहे हैवानियत के तांडव की पुरजोर मुखालफत करें, ताकि महिलाओं में छिपी प्रतिभा का देश के उत्थान में योगदान सुनिश्चित किया जा सके। सवाल है कि जब तक पितृसत्तात्मक सोच के खिलाफ व्यापक सोच विकसित करने की ओर समाज नहीं बढ़ता है, तब तक पुरुष और स्त्री के बीच गहराते फासले को कैसे दूर किया जा सकेगा!

● *हरेंद्र सिंह कीलका, सरवड़ी*

किसी भी मुद्दे या लेख पर अपनी राय हमें भेजें। हमारा पता है : ए-8, सेक्टर-7, नोएडा 201301, जिला : गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश

आप चाहें तो अपनी बात ईमेल के जरिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। आइडी है : chaupal.jansatta@expressindia.com

असुरक्षित अदालतें

उत्तर प्रदेश के बिजनौर सत्र अदालत में मंगलवार को भरी अदालत में एक अभियुक्त की हत्या कर दी गई। हालांकि कोर्ट परिसर में हत्या का यह पहला मामला नहीं है। ऐसे और भी मामले सामने आते रहे हैं। इसी साल जून में आगरा के बार काउंसिल की नवनिर्वाचित अध्यक्ष को भी कोर्ट परिसर में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अब सवाल यह उठता है कि जब देश की न्यायपालिकाएं ही सुरक्षित नहीं है, तो सरकारें आम आदमी को सुरक्षा का भरोसा कैसे दे सकती है? हाल में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका में यह कहते हुए अदालतों की सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करने की अपील की गई थी कि अदालतों की सुरक्षा व्यवस्था रामभरोसे है।

भेदभाव का विकास

आज देश की महिलाएं सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में उपेक्षा की शिकार हो रही हैं और दूसरी तरफ बलात्कार, छेड़छाड़ और घरेलू हिंसा जैसे अपराधों के ग्राफ में तेजी से वृद्धि हो रही है। इन सवालों की पुष्टि विश्व आर्थिक मंच की ताजा रिपोर्ट ने भी कर दी है। इस रिपोर्ट में भारत पिछले साल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की सूची में 108 वें स्थान पर था, लेकिन इस बार फिसल कर वह 112वें स्थान पर पहुंच गया है। इस रिपोर्ट ने देश और समाज के लिए

नाकाम चीन

अब तक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् में भारत के विरुद्ध चीन लगातार वीटो का प्रयोग कर परेशान करता रहा है। लेकिन इस बार उसने कश्मीर संबंधी एक प्रस्ताव रखा तो अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और रूस-चारों महाशक्तियों ने उसे वीटो कर दिया। नतीजतन, वह खारिज हो गया। किसी प्रश्न पर ऐसी महाशक्तियों की एकजुटता बहुत कम देखने को मिलती है। इसने चीन को अलग-थलग कर दिया। एक दौर था जब जरूरत पड़ने पर केवल रूस हमें अपने वीटो द्वारा बार-बार बचाता था। अब चार महाशक्तियां हमारा साथ दे रही हैं। जहां तक चीन का सवाल है तो चीन की असली चिंता इस समय अर्थव्यवस्था है, जो अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण दुर्गति को प्राप्त हो गई है। इसका राजनीतिक लाभ उठाया जा सकता है।

● *आस्था गर्ग, बागपत रोड, मेरठ*

www.readwhere.com